कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

क्रमांक/स्था.नर्सिंग/2021/ 1923 **बलरामपुर दिनांक 02/08/2021**

आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) मे दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित मितानिनों के लिए जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति हेतु आमंत्रित ऑन-लाईन आवेदन पश्चात दिनांक 27.06.2021 को आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा परिणाम/उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में प्राप्तांक के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा पर मेरिट के आधार पर चयन सूची से चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के पद पर छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम-2017,के वेतन मेट्रिक्स लेवल-05 में तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि मे वित निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 06 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	निवास स्थान का पता	वर्ग	पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05	06
			अनारक्षित वर्ग		
1	श्रीमती कुन्ती	श्री गोवर्धन सिंह	ग्राम-करवां पो0-गोपालपुर जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अ.ज.जा	उप स्वास्थ्य केन्द्र चौरा, वि.ख.-राजपुर
2	श्रीमती अमिता तिवारी	श्री योगेश तिवारी	ग्राम+पो0-ककना विकासखण्ड-राजपुर जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	सामान्य	उप स्वास्थ्य केन्द्र जिगड़ी, वि.ख-राजपुर
			अपिवर्ग		
1	श्रीमती पार्वती	श्री ललित कुमार	ग्राम-कैलाशपुर पो0-बरतीकलॉ, जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अपिवर्ग	उप स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथनगर,वाड्रफनगर
2	श्रीमती पुष्पा यादव	श्री रामकुमार यादव	ग्राम-विरेन्द्रनगर पो0-करमडीहा जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अपिवर्ग	प्राथ0स्वा0केन्द्र डिन्डो,रामानुजगंज
			अजजा वर्ग		
1	श्रीमती बुधेश्वरी	श्री बुटन राम	ग्राम-घाघरा पो0-झलरिया जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र बलंगी,वाड्रफनगर
2	श्रीमती हल्मी तिर्की	श्री जगदीश राम	ग्राम-लोधी पो0-कमारी शंकरगढ़ जिला बलरामपुर-रा0गंज छ0ग0	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र सबाग, वि.ख. कुसमी
3	श्रीमती कौशल	श्री कालीचरण साण्डिल्य	ग्राम-मोकरो पो0-रनहत जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र लुर्गीखुर्द,बलरामपुर
4	श्रीमती फुलकुंवर	श्री मनराज सिंह	ग्राम-इंजानी पो0-बरतीकलॉ जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र ओदारी,वाड्रफनगर
5	श्रीमती विनती	श्री बासदेव	ग्राम-सिंगचौरा करौंदापारा राजपुर जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र जारगीम,शंकरगढ़
6	श्रीमती सुमेला	श्री आशाराम पैकरा	ग्राम-सुपली पो0-डौरा,बलरामपुर जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र मानिकपुर,बलरामपुर
7	श्रीमती रासमनी	श्री बहाल राम	ग्राम-सरनाडीह पो0-शंकरगढ़ जिला-बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र बाहरचुरा, वि.ख-रामानुजगंज

पृष्ट -02 पर

Scanned with CamScanner

2/ उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी-

1. चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
2. यह नियुक्ति रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 593/2013 एवं 594/2012 मे माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
3. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद मे यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस के सेवा छोड दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि मे जितनी कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
4. चयनित अभ्यार्थियों द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोडने पर उक्त शर्त की कंडिका 3 के अंतर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा मे की जा रही है। ऐसी स्थिति मे जिन अभ्यार्थियों का चरित्र सत्यापन मे विपरीत टिप्पणी पायी जाती है उन्हें शासकीय सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरूध्द विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 01 माह की समयावधि मे जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मण्डल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
8. चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश के पालन में प्रथम उपस्थिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर में देना होगा, कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. चयनित अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा दी गई जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति मे सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ पत्र (UNDERTAKINK) 50 रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टॉम्प मे देना अनिवार्य होगा।
10. उक्त अभ्यार्थियों की वरिष्ठता अन्तिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि मे रहेगी, परिवीक्षा अवधि मे कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति मे (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

Ssingh
2/8/2021

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/स्था.अवि./2021/ 1924 **बलरामपुर दिनांक : 02/08/2021**

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

निरंतर पृष्ट 03 पर..........

Scanned with CamScanner

2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.,इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.,इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बलरामपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. विज्ञान एवं सूचना अधिकारी , एन.आई.सी. छ.ग. की ओर विभागीय वेबसाईट मे अपलोड किये जाने हेतु संप्रेषित।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सरगुजा संभाग ,संभाग सरगुजा छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र........................ जिला बलरामपुर-रा0गंज (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथ0स्वा0केन्द्र..की ओर सूचनार्थ।
10. संबंधित श्रीमती/कुमारी.. जिला.......................... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। (अभ्यर्थी अपने आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड करें)
11. आदेश नस्ती

B.Singh
21/8/2021

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

पर

Scanned with CamScanner